राजस्थान सरकार
औषधि नियंत्रण संगठन, स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, जयपुर, राजस्थान

क्रमांकः डीसी /डी–1/अमेण्ड–41/2013/ दिनांकः

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

विषयः– पंजाब में बरामद 100 करोड की नकली दवाईयो के संदर्भ में।
सन्दर्भः– राजस्थान पत्रिका में प्रकाशित समाचार के क्रम में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि पंजाब पुलिस द्वारा पटियाला (पंजाब) में नकली दवाईयों का भारी स्टॉक पकडा है जिनमें पारवोन फोर्ट, पारवोन स्पास, प्रॉक्सीवोन, स्पाज्मो प्रोक्सीवान नाम से पायी गई। इन सभी में डेक्सट्रो प्रोपोक्सीफेन हाईड्रोक्लोराईड है जो औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के तहत प्रतिबन्धित औषधि है। इन दवाईयों का निर्माण करनाल (हरियाणा) स्थित पायोनियर फार्मास्यूटिकल एंड प्राइम फार्मास्यूटिकल लिमिटेड द्वारा करना बताया गया है।

अतः उपरोक्त औषधियों की विशेष निगरानी रखते हुये इस सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के तहत आवश्यक कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करावें।

Sd
(ऐ. के. जैन)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर

क्रमांकः डीसी /डी–1/ अमेण्ड–41/2013/489 दिनांकः22-10-13
प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को उनकी डायरी क्रमांक 12743 दिनांक 18.10.2013 के क्रम में।
2. ईन्जार्च सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें एवं समस्त सहायक औषधि नियंत्रको के ईमेल पर प्रेषित करे।

(ऐ. के. जैन)
औषधि नियंत्रक
राज0 जयपुर